



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
(सम्पत्ति प्रबन्धक)  
प्रथम तल आफिस काम्प्लेक्स सेक्टर-9  
वृन्दावन योजना लखनऊ।



पत्रांक

दिनांक

किश्त पद्धति

## प्रदेशन-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पुत्र/पुत्री/पत्नी

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण चालान सं० ० द्वारा वृन्दावन योजना संख्या-4, सेक्टर-13 लखनऊ में निर्माणाधीन जी+3 टाइप के अन्तर्गत EWS के भवन हेतु आवेदन किया गया है। सम्पन्न लाटी ड्रा दिनांक \_\_\_\_\_ में आप फ्लैट सं० \_\_\_\_\_ के आवंटन हेतु आप सफल हुए हैं:-

फ-आवंटित सम्पत्ति का विवरण		EWS
1-	फ्लैट टाइप	0
2-	चालान संख्या	-
3-	आवंटन/ड्रा की तिथि	-
4-	भुगतान पद्धति	-
5-	तल	-
6-	फ्लैट का वास्तविक कार्पेट एरिया	व०मी०
7-	फ्लैट का सुपर एरिया	व०मी०
ख- सम्पत्ति का कुल मूल्य		
1-	फ्लैट का निर्माण मूल्य	रु० -
2-	फ्लैट (क्षेत्रफल व०मी० व भूमि दर रु० प्र०व०मी०)	रु० -
3-	की भूमि का % फ्री-होल्ड शुल्क सहित मूल्य लोकेशन चार्ज (भूतल तल @ %, प्रथम तल @ %, द्वितीय तल हेतु @ %)	रु० -
	कुल मूल्य	रु० -
4-	जमा पंजीकरण धनराशि	रु० -
5-	जमा पंजीकरण धनराशि समायोजन के उपरान्त देय धनराशि	रु० -

निम्नलिखित विवरण के अनुसार देय धनराशियाँ जमा की जानी है।

क्र० सं०	विवरण	धनराशि	जी०एस०टी० ( प्रतिशत की दर से)	अन्तिम देय तिथि
1	पंजीकरण धनराशि पर देय जी०एस०टी०	रु०	रु०	दिनांक _____ तक
2	एक मुश्त देय धनराशि	रु०	रु०	
3	अवशेष धनराशि रु० जिस पर किश्ते प्रतिमाह की दर से निर्धारित की गयी है।	रु०	रु०	दिनांक _____ से प्रारम्भ

क्रमश.....2 पर

(2)

घ- विविध शुल्क

अ-	विविध शुल्क के मद मे दिनांक _____ तक जमा की जाने वाली धनराशि:	
1-	विक्रय विलेख शुल्क	रु0 -
2-	साइट प्लान शुल्क	रु0 -
3-	अन्य शुल्क/विज्ञापन व्यय	रु0 -
	विविध शुल्क मद मे जमा की जाने वाली कुल धनराशि	रु0 -
ब-	विविध शुल्क मद मे जमा की जाने वाली कुल धनराशि पर जी0एस0टी0 की देयता विविध शुल्क की धनराशि पर प्रतिशत जमा की जाने वाली धनराशि	रु0 -

नोट:- उक्त समस्त देय धनराशि परिषद के BANK NAME .....  
..... के खाता संख्या- ..... पर भुगतान  
किया जाना है।

सम्पत्ति प्रबन्धक  
(कृते आवास आयुक्त)

वाँछित औपचारिकताएँ पूर्ण करने की अन्तिम तिथि \_\_\_\_\_ है।

दिनांक \_\_\_\_\_ तक पूर्ण की जाने वाली निम्नलिखित औपचारिकताओं के पूर्ण न होने एवं कब्जा प्राप्त न किये जाने की दशा में रु0 75.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

- 1- पंजीकरण हेतु जमा धनराशि की चालान की चतुर्थ प्रति मूल रूप में जमा करें।
- 2- रु0 10/- का सादा नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर आशवासन पत्र हेतु जमा करें।
- 3- राजपत्रित अधिकारी से दो अलग- अलग सादे कागज पर फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर जिस पर प्रमाणित कर्ता अधिकारी के नाम एवं पदनाम की स्पष्ट मुहर अंकित हो प्रारूप नीचे अंकित है एवं 05 नग पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- 4- आवंटित प्लेट के विक्रय विलेख के निष्पादन हेतु रु0..... (महिला आवंटी होने की दशा मे रु0..... के स्टाम्प घटाते हुए) के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर मुख्य कोषाधिकारी लखनऊ से अथवा ई0-स्टैम्प स्वयं के नाम से क्रय कर एवं टंकित कराकर तथा रु0 100/- का सादा अतिरिक्त स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर शासनदेश के क्रम में परिवर्तनीय हैं।

क्रमांक-3 के लिए प्रारूप-फोटो एवं हस्ताक्षर, राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराने हेतु (दो नग)  
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी  
श्री..... निवासी .....को मैं भली-भाँति जानता व पहचानता हूँ। इनके हस्ताक्षर  
एवं फोटो मेरे द्वारा नीचे प्रमाणित किये जाते हैं।

- 1 हस्ताक्षर
- 2 हस्ताक्षर

फोटो  
चिपकाये